

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27587 वर्ष 2026

अवनीश

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रमेश कुमार शुक्ला, रोहित नंदन शुक्ल

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आनंद प्रताप सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले संख्या 199/2026, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना नेहतौर, जिला बिजनौर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक का बहनोई (जेठ) है, जिसने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतक का बहनोई होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतक को प्रताड़ित किया था। आवेदक को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर झूठा फंसाया गया है, जबकि वह मृतक के पति के परिवार से अलग अपने परिवार के साथ रहता है। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज हत्या की धारणा लागू करने के लिए, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले मृतक को क्रूरता का शिकार बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है।
- अंत में निवेदन है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.06.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
- मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी** अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **अवनीश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **बिजनौर, जेल अधीक्षक** के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो कि जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो, स्वतः **संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023** को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित, साथ ही पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, दिनांक 29.05.2026 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा हो चुका है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

7 अगस्त, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.